



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 372

राँची : 06/04/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :- झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2022 दिनांक 19.07.2022

महाशय,


उपर्युक्त विषयक परियोजना झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लि0 (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। उक्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 893 दिनांक 03.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् प्रतिवेदित है:-

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि की विवरणी (अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न)। विषयक प्रस्ताव में 3.561 हे0 वनभूमि के अपयोजन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2022 को प्रकाशित राजपत्र के सिड्यूल 1 के क्रमांक-2 एवं 8 के आलोक में 17 एकड़ गैर मजरूआ खास जंगल भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदन किया है कि उक्त स्थल अधिसूचित वनभूमि से सटा हुआ है, जिसकी अधिसूचना संख्या-CPF10152/-5803 दिनांक 27.12.1952 है।
2. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण -पत्र (अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न)।
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (KML file सहित) (अनुलग्नक-03 के रूप में संलग्न)।
4. क्षतिपूरक वनरोपण की योजना का प्राक्कलन (अनुलग्नक-04 के रूप में संलग्न)।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


06.04.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

190

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 893

दिनांक : 03.4.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय:—

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:—

भवदीय ज्ञापांक 664 दिनांक 21.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2022 दिनांक 19.07.2022 द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इन पृच्छित बिन्दुओं संबंधी निराकरण प्रतिवेदन/अभिलेख वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 622 दिनांक 29.03.2023 एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के पत्रांक 891 दिनांक 27.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो विन्दुवार निम्नवत् है :-

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि की विवरणी। (अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न) विषयक प्रस्ताव में 3.561 हे० वन भूमि के अपयोजन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना नई दिल्ली 28 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित राजपत्र के सिड्यूल 1 के क्रमांक-2 एवं 8 के आलोक में 17 एकड़ गैर मजरूआ खास जंगल भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त स्थल अधिसूचित वन भूमि से सटा हुआ है, जिसकी अधिसूचना संख्या—CPF10152/-5803-R dt. 27.12.1952 है।
2. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न)
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (KML file सहित)। (अनुलग्नक-03 के रूप में संलग्न)

Konar to Hazaribagh Jlapurti

immediate

for
05/04/23



4. क्षतिपूरक की योजना। (अनुलग्नक-04 के रूप में संलग्न)

अतः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,
03/11/2013
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन-1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक -13E-5-5/2022- 622

दिनांक :- 29-03-2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय:-

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु 3.561 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 664 दिनांक 21.07.2022 एवं आपका ज्ञापांक 1656 दिनांक 27.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 891 दिनांक 27.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 2022 दिनांक 19.07.2022 द्वारा याचित चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख समर्पित किया है, जो निम्नवत् है:-

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि की विवरणी। (अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न)
2. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न)
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (KML file सहित)। (अनुलग्नक-03 के रूप में संलग्न)
4. क्षतिपूरक की योजना। (अनुलग्नक-04 के रूप में संलग्न)

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल से प्राप्त प्रतिवेदन/अभिलेख की सात प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रोत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हजारीबाग
प्राप्तांक 973
दिनांक 03.4.2023

आपका विश्वासी

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
29.03.23
28/03/2023



कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; dfohazaribagheast@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक : 891 दिनांक : 27/03/23

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

विषय :-

कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :-

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 1656 दिनांक 27.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे० वनभूमि अपयोजन में उपपरामर्शी वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख की मांग की गई थी। तत्बन्धी प्रतिवेदन निम्नवत् उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि की विवरणी। (अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न)
2. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण-पत्र। (अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न)
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि का नक्शा (KML File सहित) (अनुलग्नक-03 के रूप में संलग्न)
4. क्षतिपूरक योजना। (अनुलग्नक-04 के रूप में संलग्न)

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन 08 (आठ) प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे अपने स्तर से अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक-यथोक्त।

आपका विश्वस्त

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

27/3/2023
MV 27/3

1535
28.03.2023